	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/7	वादकार/पक्षकारान उपस्थित पीठासीन अधिकारी की पीठिका से/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 6/7 को प्रस्तुत हो।	मिश्रा जी प्रावरण हेतु तहसीलदार (केन्द्रीय) नागौर को प्रेषण सूचना विकास बार प्रावरण सहित रवाना हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)	
6/7/20	वादकार/पक्षकारान व अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी की पीठिका से/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 10/8/20 को प्रस्तुत हो।		
10	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप अधिशासन के नोटिस बार वापिस प्राप्त। इनको बार-बार अवकाश देकर गोड़ नगर कोर्ट की उपस्थ नहीं होने से इनके विरुद्ध पत्रीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। वकील प्रार्थी ने जवाबदावा पेश किये पेश हो। अगली दिये गये। पत्रावली वादि बरक (पूर्व) हेतु दिनांक 18.8.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)		
20	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप वकील प्रार्थी की एक पत्रीय बरक सुनी गई। उक्त प्रा.पत्र को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जावे बाद हस्ताक्षर इति। अगली दिया गया। पत्रावली में		

लगातार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)

दिनांक [illegible]

[illegible] खेताराम जाति मेघवाल
[illegible] खेताराम जाति मेघवाल
[illegible] खेताराम जाति मेघवाल
[illegible] खेताराम जाति मेघवाल
[illegible] खेताराम जाति मेघवाल
[illegible] खेताराम जाति मेघवाल
[illegible] खेताराम जाति मेघवाल
[illegible] खेताराम जाति मेघवाल निवासीगण माडपुरा तहसील खींवसर

बनाम

[illegible] पुत्र मगनाराम जाति मेघवाल
[illegible] पत्नि चुनाराम जाति मेघवाल
[illegible] पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल
[illegible] चुनाराम जाति मेघवाल
[illegible] चुनाराम जाति मेघवाल नाबालिग जरिये वलीका [illegible]
[illegible] चुनाराम जाति मेघवाल निवासी माडपुरा तहसील खींवसर जिला नागौर

तामिल द्वारा - तहसीलदार खींवसर

[illegible] 13. उपरोक्त अनवान का आवेदन अधीन धारा 251 अ आरटीएक्ट वाली [illegible] प्रपत्र संख्या 11/2019 को स्वीकार कर लिया गया है तथा अतः प्राथीगण [illegible] मौजा माडपुरा खेत खा न 756 रकबा 25.19 बीघा खेत एवं ढाणी [illegible] मा स माडपुरा के खेत खा न 755 रकबा 24.04 बीघा की पश्चिमी [illegible] 15 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट मे बनाये [illegible] नजरी नक्शा [illegible] प्राथीगण की खातेदारी के खेत खा न 756 की दक्षिणी सीमा तक 15 [illegible] जाता है । प्राथीगण द्वारा अप्राथी 01 ता 06 को प्रभावित रकबा 04 [illegible] की दर से तीगुनी अर्थात 12258/- रुपये प्राथीगण [illegible] राशि अप्राथी संख्या 01 ता 06 को देय करने। अगर अप्राथीगण [illegible] प्राथीगण उक्त राशि तहसीलदार खींवसर के पास जमा करावेगा। [illegible] भूमि के राजस्व रिकार्ड मे हिस्से अनुसार प्रभावित रकबे के खातेदारो [illegible] उक्त राशि अप्राथीगण संख्या 1 ता 5 प्राप्त नही करते है तो [illegible] आदेशानुसार रास्ते को खुलवाया जाकर रास्ते का [illegible] निकाला जावे। (आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त कर आदेश की [illegible] जावे।) [illegible] किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नही रहेगा । यह रास्ता [illegible] उपयोग उपभोग मे काम आवेगा।

[illegible] उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना [illegible] करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

राजकेश मीना RAS
सहायक कलक्टर
खींवसर